

I/456913/2023

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावतियों को अयकक्रमित करते हुए चिकित्सा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-3643/सेक-2-पांच-2020, दिनांक 18.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली के प्रस्तर-21(1) एवं (2) में ज्येष्ठता के संबंध में क्रमशः चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (स्तर-1) की ज्येष्ठता सूची एवं संयुक्त ज्येष्ठता सूची जिसमें स्तर-2 से स्तर-7 तक के चिकित्सकों की ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने के प्राविधान किये गये हैं, जो कि निम्नवत् हैं-

21(1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) मात्र स्तर-1 के पदों के लिये लागू "चिकित्साधिकारी ग्रेड-एक(स्तर-1)-ज्येष्ठता सूची" और स्तर-2 से स्तर-7 तक के पदों के लिये लागू "संयुक्त ज्येष्ठता सूची (स्तर-2 से स्तर-7)" नामक दो पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूचियां होंगी, दो पृथक ज्येष्ठता सूचियां निम्नानुसार अनुरक्षित की जायेंगी-

(एक) "चिकित्साधिकारी ग्रेड-एक स्तर 1) ज्येष्ठता सूची":-

"चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड एक (स्तर-1)-"ज्येष्ठता सूची" से प्रारम्भ होगी और इसमें वे "विद्यमान सदस्य" जो इस नियमावली के अधिसूचित किये जाने के दिनांक को स्तर-1 में हैं, उसी ज्येष्ठता-क्रम में समाविष्ट होंगे और तदपश्चात् चिकित्सा अधिकारी-ग्रेड एक (स्तर-1) पर मौलिक रूप से नियुक्त "भावी सदस्य" अवस्थित होंगे।

2. उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में प्राविधानित उपरोक्त व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या-गोपन/वरि0क्रम0आवं0/2023/4043, दिनांक 05.10.2023 द्वारा पी0एम0एच0एच0 संवर्ग में लेवल-1 के कुल-6947 चिकित्सा अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5-8099/10/2022-8-1/408088/2023, दिनांक 16.10.2023 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (क्रमांक-1 से 6947 तक) परिचालित करते हुए निर्धारित 15 दिन के भीतर संबंधित चिकित्सकों से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए महानिदेशालय को निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये:-

"प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तत्काल परिचालित कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु समस्त संबंधित परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित करें कि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिप्रेक्ष्य में यदि उनकी कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति 15 दिवस के भीतर महानिदेशक कार्यालय की वेबसाइट पर अवश्यमेव उपलब्ध करा दें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा तथा तिथि तक आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा तदुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत कर दी जायेगी।"

3. उपरोक्तानुसार शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16.10.2023 द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत लेवल-1 के चिकित्साधिकारियों की निर्गत/परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में महानिदेशालय के पत्र दिनांक 16.10.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त नियंत्रक अधिकारियों/सर्वसंबंधित को उनके कार्यालयीय ई-मेल पत्तों, सहित विभागीय वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में तात्कालिक रूप से प्रकाशित/परिचालित कराया गया तथा सर्वसंबंधित नियंत्रक अधिकारियों/संबंधित चिकित्साधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि 15 दिवस के भीतर आपत्तियां/प्रत्यावेदन (यदि कोई हो) उपलब्ध करा दिये जायें तथा प्रदेश के समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को यह निर्देश दिये गये कि उनके अधीन मण्डल में कोई चिकित्साधिकारी वरिष्ठता

I/456913/2023

क्रमांक आवंटन से छूटा नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र समयबद्ध रूप से उपलब्ध करा दिया जाये। तदुक्त में महानिदेशालय द्वारा आपतियां प्राप्त कर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या-गोपन/वरि0क्रम0आवं0/2023/4270, दिनांक 03.11.2023 द्वारा कुल-6949 चिकित्साधिकारियों की सूची अद्यतन करते हुए प्राप्त कुल-45 आपतियों के साथ उक्त सूची को अन्तिम किये जाने की अपेक्षा के साथ उपलब्ध करायी गयी। उक्त के साथ ही महानिदेशालय के पत्र संख्या-गोपन/वरि0क्रम0आवं0/2023/4616, दिनांक 29.11.2023 एवं पत्र संख्या-गोपन/वरि0क्रम0आवं0/2023/4673, दिनांक 13.12.2023 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी कि संबंधित नियंत्रक अधिकारियों से वरिष्ठता क्रमांक आवंटन से छूटा नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार सूचना शून्य है। महानिदेशालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी आख्या के संदर्भ में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में लेवल-1 के प्रश्नगत कुल-6947 चिकित्साधिकारियों की शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16.10.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में परिचालित करायी गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत कुल-45 चिकित्साधिकारियों की डाक/ई-मेल स्रोत से आपतियां प्राप्त हुई। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 व सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के संदर्भ में निर्धारित अवधि तक संबंधित चिकित्सकों से निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 16.10.2023 के सापेक्ष प्राप्त आपतियों का महानिदेशालय द्वारा उनके संबंधित नियंत्रक अधिकारियों से प्राप्त संस्तुति प्रमाण पत्र व संगत अभिलेखों के आधार पर सम्यक् रूप से परीक्षण कर निम्नवत् निस्तारण करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 16.10.2023 को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए अद्यतन कुल-6949 चिकित्साधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जाती है:-

क्र0 सं0	आपतिकर्ता चिकित्साधिकारी का नाम	आपति का संक्षिप्त विवरण	आपति का निस्तारण
1.	डा0 तरुण कुमार मौर्य, सीएचसी, बभनजोत	योगदान तिथि 02-01-2015 के स्थान पर 30-12-2014 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि 30-12-2014 संशोधन कर लिया गया है।
2.	डा0 इन्द्रजीत यादव, पीएचसी, धर्मापुर, जौनपुर	ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने एवं गृह जनपद बिहार के स्थान पर प्रतापगढ़ संशोधन किये जाने के संबंध में।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-5511 में सम्मिलित हैं तथा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-5514 पर सम्मिलित किया गया है। अभिलेखानुसार गृह जनपद प्रतापगढ़ संशोधन कर लिया गया है।
3.	डा0 बिपिन कुमार, अधीन सीएमओ, गाजीपुर	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-714 में सम्मिलित हैं तथा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-714 पर सम्मिलित किया गया है।
4.	डा0 आशुतोष शुक्ला, जिला महिला चिकि0, मीरजापुर	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-3666 में सम्मिलित हैं तथा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-3664 पर सम्मिलित किया गया है।
5.	डा0 हरनाथ सिंह, अधीन सीएमएस, महिला चिकि0, बांदा।	गृह जनपद महोबा के स्थान पर चित्रकूट संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार गृह जनपद चित्रकूट संशोधन कर लिया गया है।

I/456913/2023

6.	<p>सी0एम0ओ, उन्नाव के पत्र द्वारा प्राप्त</p> <p>(1) डा0 सुमित सौरभ सिंह</p> <p>(2) डा0 कंचन सिंह यादव</p> <p>(3) डा0 संकल्प गुप्ता</p>	<p>(1) डा0 सुमित सौरभ सिंह का योगदान तिथि 22-09-2018 के स्थान पर 09-08-2018 संशोधन किये जाने के संबंध में।</p> <p>(2) डा0 कंचन सिंह यादव को ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।</p> <p>(3) डा0 संकल्प गुप्ता को ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।</p>	<p>(1) अभिलेखानुसार डा0 सुमित सौरभ सिंह योगदान तिथि 09-08-2018 संशोधन कर लिया गया है।</p> <p>(2) डा0 कंचन सिंह यादव पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-3444 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-3444 पर सम्मिलित किया गया है।</p> <p>(3) डा0 संकल्प गुप्ता पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-6017 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-6017 पर सम्मिलित किया गया है।</p>
7.	<p>डा0 प्रियंका कटियार, अधीन सीएमओ, कानपुर नगर।</p>	<p>योगदान तिथि 27-01-2018 के स्थान पर 27-01-2017 संशोधन किये जाने के संबंध में।</p>	<p>अभिलेखानुसार योगदान तिथि 27-01-2017 संशोधन कर लिया गया है।</p>
8.	<p>डा0 विपिन कुमार, अधीन सीएमओ, मथुरा।</p>	<p>ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।</p>	<p>पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-4276 पर सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-4277 पर सम्मिलित किया गया है।</p>
9.	<p>डा0 रवि कुमार, अधीन सीएमओ, इटावा।</p>	<p>ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।</p>	<p>पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-6691 पर सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-6693 पर सम्मिलित किया गया है।</p>
10.	<p>डा0 शिव कुमार, अधीन सीएमएस, जिला चिकि0 रायबरेली</p>	<p>कमीशन रैंक 1035 के स्थान पर 1070 , गृह जनपद राय बरेली के स्थान पर अमेठी विशेषज्ञता एम0एस (ई0एन0टी0) संशोधन किये जाने के संबंध में ।</p>	<p>कमीशन रैंक 1070, विशेषज्ञता एम0एस (ई0एन0टी0) संशोधन कर लिया गया एवं नियुक्ति आदेश में गृह जनपद राय बरेली अंकित है के क्रम में गृह जनपद में संशोधन नहीं किया गया है।</p>
11.	<p>डा0 राम स्वरूप सिंह, अधीन सीएमओ, महाराजगंज</p>	<p>श्रेणी एस0सी0 के स्थान पर ओ0बी0सी0, योगदान तिथि 04-07-2020 के स्थान पर 07-04-2020 संशोधन किये जाने के संबंध में ।</p>	<p>अभिलेखानुसार श्रेणी ओ0बी0सी0 एवं योगदान तिथि 07-04-2020 संशोधन कर लिया गया है।</p>
12.	<p>डा0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, अधीन सीएचसी, मिठौरा, महाराजगंज।</p>	<p>नाम DIVENDRA PRATAP SINGH के स्थान पर DEWENDRA PRATAP SINGH एवं योगदान तिथि 15-01-2017 के स्थान पर 21-12-2016 संशोधन किये जाने के संबंध में।</p>	<p>नाम DEWENDRA PRATAP SINGH एवं योगदान तिथि 21-12-2016 संशोधन कर लिया गया है।</p>

I/456913/2023

13.	डा0 नुपुर वर्मा, अधीन, सीएमओ, सीतापुर	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-6686 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-6688 पर सम्मिलित किया गया है।
14.	डा0 आनन्द कुमार मिश्रा, अधीन सीएमओ, बस्ती	वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-2032 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2031 पर सम्मिलित किया गया है।
15.	डा0 कुमार गौरव, अधीन सीएमओ, सोनभद्र	गृह जनपद अम्बेडकरनगर के स्थान पर मीरजापुर संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार गृह जनपद मीरजापुर संशोधन कर लिया गया है।
16.	डा0 अरविन्द कुमार शाह, सीएचसी कोलहुखोर, आजमगढ़	योगदान तिथि 28-01-2018 के स्थान पर 30-12-2017 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि 30-12-2017 संशोधन कर लिया गया है।
17.	डा0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा, जिला चिकि0 सीतापुर	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	ले0-1 की अद्यतन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में लो0से0आ0 चयन वर्ष व रैंक के अनुसार यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है।
18.	डा0 कुमार वरुणानिधि	योग्यता एम0डी0 पैथोलाजी किये जाने के संबंध में प्रत्यावेदन।	योग्यता एम0डी0 पैथोलाजी संशोधन कर लिया गया है।
19.	डा0 नरेन्द्र कुमार पटेल, सीएचसी, बिनावर, बदायूं	योगदान तिथि 07-08-2017 के स्थान पर 07-01-2017 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि 07-01-2017 संशोधन कर लिया गया है।
20.	डा0 सोनाली श्रीवास्तव, अधीन, सीएमएस, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकि0, सुलतानपुर	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-5822 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-5824 पर सम्मिलित किया गया है।
21.	डा0 अजीत कुमार केशरवानी, सीएचसी, राजगढ़, मीरजापुर।	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-6241 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-6243 पर सम्मिलित किया गया है।
22.	डा0 अभिषेक तिवारी, अधीन सीएमओ, मऊ।	वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-5471 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-5475 पर सम्मिलित किया गया है।
23.	डा0 रत्नाकर मिश्रा, पीएचसी, विजयपुर, मीरजापुर।	वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-3695 में सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-3693 पर सम्मिलित किया गया है।

I/456913/2023

24.	डा0 शुभम नागर, पीएचसी, पारौन, सी0एच0सी0बार0, ललितपुर।	जन्मतिथि 17-07-1984 के स्थान पर 17-07-1994 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार जन्मतिथि 17-07-1994 संशोधन कर लिया गया है।
25.	डा0 रिचा गुप्ता, अधीन सीएचसी	सेवा नियमावली 2004 के अंतर्गत पदोन्नति किये जाने के संबंध में।	उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0-3643/सेक -2-पांच-2020 दिनांक 18-12-2020 एवं उ0प्र0 शासन चि0अनु0-2 के पत्रांक-3645/सेक-2-पाच-आर-14/2020 दिनांक 18-12-2020 द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग नियमावली, 2004 (यथासंशोधित नियमावली, 2020 तक) को अवकामित करते हुये नवीन "उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2020" शासन द्वारा प्रख्यापित की गयी है। वरिष्ठता आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है, तदोपरांत ही पदोन्नति की प्रक्रिया पर विचार किया जायेगा। अतः उक्त विषय पर आपति ग्राह्य योग्य नहीं है।
26.	डा0 पुष्पेन्द्र सिंह, वरि0क्रम0 -13095 क-1, सीएचसी, बमौर, झांसी ।	कनिष्ठ की तिथि से ले0-2 एवं ले0-3 के पद पर पदोन्नति का लाभ एवं डा0 मो0 आसिफ, वरि0क्रम0 13096 के ऊपर वरिष्ठता प्रदान करने के संबंध में।	उल्लिखित कनिष्ठ डा0 मो0 आसिफ (नियुक्ति तिथि 28-07-2009), को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-12-2013 द्वारा वरि0क्रम0 13096 आवंटित। डा0 पुष्पेन्द्र सिंह(नियुक्ति तिथि 16-06-2010) को वरि0क्रम0 13095 क-1 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-10-2020 द्वारा आवंटित। महानिदेशालय के पत्र सं0- गोपन/प्रो0/ले0-1 से 2/2022/1514 दिनांक 16-08-2022 द्वारा प्रेषित पदोन्नति के संयुक्त प्रस्ताव में क्र0स0-80 पर डा0 सिंह का नाम सम्मिलित है। लो0से0आ0 के चयन वर्ष एवं चयन क्रमांक के आधार पर डा0 सिंह की वरिष्ठता ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के आधार पर यथास्थान आवंटित है। अतः पदोन्नति संबंधी आपति ग्राह्य योग्य नहीं है।
27.	डा0 फरहीन खान, सीएचसी, तमबौर, जिला सीतापुर	पिता का नाम RAUT ALI KHAN के स्थान पर RAFAT ALI KHAN संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार पिता का नाम RAFAT ALI KHAN संशोधन कर दिया गया है।

I/456913/2023

28.	डा0 अनुप कुमार रायपुरिया, पीएचसी, परासना, सीएचसी सैफई, इटावा	नाम ANUP KUMAR RAIPURIYA के स्थान पर ANUP KUMAR RAIPURIA, पिता का नाम SHAYAM BABU RAIPURIYA के स्थान पर SHYAM BABU RAIPURIA एवं योगदान तिथि 04-04-2020 के स्थान पर 03- 04-2020 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार नाम ANUP KUMAR RAIPURIA , पिता का नाम SHYAM BABU RAIPURIA एवं योगदान तिथि 03-04-2020 संशोधन कर लिया गया है।
29.	डा0 अंकिता गौतम, पीएचसी, धनुआ, इटावा	योगदान तिथि 04-04-2020 के स्थान पर 03-04-2020 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि 03-04- 2020 संशोधन कर लिया गया है।
30.	डा0 रवि कुमार, अधीन सीएमओ, इटावा	योगदान तिथि 04-04-2020 के स्थान पर 03-04-2020 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि 03-04- 2020 संशोधन कर लिया गया है।
31.	डा0 अरुण कुमार, सीएचसी, शिवपुर, वाराणसी	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु ।	ले0-1 की अद्यतन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ले0से0आ0 चयन वर्ष व रैंक के अनुसार यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है।
32.	डा0 स्मृति मिश्रा, चि0अ0 , सीएचसी, बरसना, मथुरा	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु ।	ले0-1 की अद्यतन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ले0से0आ0 चयन वर्ष व रैंक के अनुसार यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है।
33.	डा0 आशीष कुमार सिंह, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद	चयन वर्ष 2012 के स्थान पर 2011 संशोधन किये जाने के संबंध में ।	अभिलेखानुसार नियुक्ति आदेश 18-04- 2012 के क्रम संख्या 09, मेरिट रैंक 305 चयन वर्ष 2011 संशोधन कर लिया गया है।
34.	डा0 आकांक्षा श्रीवास्तव, अधीन प्रमुख अधीक्षक, सरदार बल्लभ भाई पटेल, 100 शैय्या संयुक्त चिकि0, भगवतपुर, प्रयागराज	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	ले0-1 की अद्यतन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ले0से0आ0 चयन वर्ष व रैंक के अनुसार यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है।
35.	डा0 नेहा महफुज, 50 शैय्यायुक्त एम0सी0एच0 विंग, चिनहट, लखनऊ।	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-5599 में सम्मिलित हैं तथा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-5601 पर सम्मिलित किया गया है।
36.	सी0एम0ओ, आगरा के पत्र द्वारा प्राप्त डा0 प्रियदर्शनी केलकर	डा0 प्रियदर्शनी केलकर चि0अ0 को ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु ।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-3449 में सम्मिलित हैं तथा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-3449 पर सम्मिलित किया गया है।

I/456913/2023

37.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकि0 (पु), इटावा के पत्र द्वारा प्राप्त (1) डा0 मंगल सिंह (2) डा0 सौरभ गुप्ता (3) डा0 राघवेन्द्र सिंह वर्मा (4) डा0 शिवानी चन्द्रा	(1) डा0 मंगल सिंह को वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में । (2) डा0 सौरभ गुप्ता को वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में । (3) डा0 राघवेन्द्र सिंह वर्मा को वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में । (4) डा0 शिवानी चन्द्रा को वरिष्ठता क्रमांक आवंटन के संबंध में ।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में डा0 मंगल सिंह क्रम सं0-3518 पर, डा0 सौरभ गुप्ता क्रम सं0-3645 पर, डा0 राघवेन्द्र सिंह क्रम सं0- 4256 पर एवं डा0 शिवानी चन्द्रा क्रम सं0- 6936 में सम्मिलित हैं। उक्त चिकित्सकों को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमशः क्रमांक-3518, 3644, 4257 पर 6941 पर सम्मिलित किया गया है।
38.	डा0 राहुल चतुर्वेदी, पीएचसी, जैथरा, एटा	विशेषज्ञता MD(COMM MED) संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार विशेषज्ञता MD(COMM MED) संशोधन कर लिया गया है।
39.	डा0 उत्तरा शर्मा, अधीन सीएमओ, बरेली	ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु ।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-2739 पर सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2739 पर सम्मिलित किया गया है।
40.	डा0 अभिषेक मिश्रा, सीएचसी, चाका, प्रयागराज	योगदान तिथि से वरिष्ठता मानकर अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक संशोधन किये जाने के संबंध में ।	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में लो0से0आ0 चयन वर्ष (2014) व रैंक (एस-827) के अनुसार यथास्थान पूर्व से नियमानुसार सम्मिलित। अद्यतन अनन्तिम सूची में क्रम सं0 2250, 2251, 2255, 2260, 2262 आदि पर अद्यतित योगदान तिथि से वरिष्ठ माने जाने अथवा ज्येष्ठता क्रमांक में संशोधन का औचित्य नियमानुसार ग्राह्य नहीं है।
41.	डा0 उपमा सिंह, 50 बेड संयुक्त चिकित्सालय, सुबन्सा, प्रतापगढ	जन्मतिथि 01-04-1989 के स्थान पर 25-04-1989 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार जन्मतिथि 25-04-1989 संशोधन कर लिया गया है।
42.	डा0 सुमित सौरभ सिंह, नया पीएचसी शुक्लागंज	योगदान तिथि 22-09-2018 के स्थान पर 09-08-2018 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि पूर्व से 09-08-2018 अंकित है।
43.	डा0 विजेन्द्र कुमार, वीरांगना अवन्ती बाई महिला, चिकित्सालय, लखनऊ ।	योगदान तिथि 08-10-2012 के स्थान पर 05-10-2012 संशोधन किये जाने के संबंध में।	अभिलेखानुसार योगदान तिथि 05-10-2012 संशोधन कर लिया गया है।
44.	मु0चि0अधि0, पं0 रामाधीन शर्मा, 50 शैय्या संयुक्त चिकि0 बकेवर, इटावा के पत्र द्वारा प्राप्त डा0 अभिषेक स्वर्णकार	डा0 अभिषेक स्वर्णकार के वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में।	पूर्व से ले0-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-2173 पर सम्मिलित हैं तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2172 पर सम्मिलित किया गया है।

I/456913/2023

45.	डा० संजीव कुमार गंगवार, पीएचसी, गण्डाहा, सीएचसी समरेर बदायूं	ले०-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु।	पूर्व से ले०-1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं०-5497 पर सम्मिलित हैं तथा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-6054 पर सम्मिलित किया गया है।
-----	--	--	---

4. उपरोक्तनुसार महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या-गोपन/वरि०क्रम०आवं०/2023/4270, दिनांक 03.11.2023, संख्या-गोपन/वरि०क्रम०आवं०/2023/4616, दिनांक 29.11.2023 एवं संख्या-गोपन/वरि०क्रम०आवं०/2023/4673, दिनांक 13.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त 45 आपतियों का निस्तारण करते हुए श्री राज्यपाल संलग्नक में अंकित पी०एम०एच०एस० संवर्ग में लेव-1 के 6949 चिकित्साधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक:-6949 चिकित्सकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची।

(क्रमांक-1 से 6949 तक)

Digitally Signed by रंजन

कुमार

Date: 22-12-2023 13:32:37

Reason: Approved


(रंजन कुमार)

सचिव

संख्या-उपरोक्तानुसार, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को समस्त संबंधित चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से परिचित कराने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संबंधित चिकित्साधिकारी।
7. मानव सम्पदा/कम्प्यूटर सेल/गार्ड बुक।

आज से,  
  
(गंगा चरण)  
अनु सचिव